संख्याः 7668 /भू–अभिलेख/2010

प्रेषक,

मुख्य राजस्व आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

देहरादून; दिनांकः 29 दिसम्बर, 2010

विषयः– **भू–अभिलेखों का रखरखाव एवं प्रेषण।**

महोदय,

जनपदों से भू–अभिलेखों से सम्बन्धित आँकड़े जो जिन्सवार/मिलान खसरा के रूप में तहसीलों से जिला कार्यालय व जिला कार्यालय से इस कार्यालय को भेजे जाते हैं, वे **काफी विलम्ब से व विसंगत आँकड़ों सहित प्राप्त होते हैं।** अतः भू–अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, व्यापक सुधार व समयबद्ध प्रेषण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जा रहे हैं:–

1. प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन्सवार/मिलान खसरा पुराने प्रपत्र (जो अब लागू नहीं है) पर व **मैदानी क्षेत्र का प्रपत्र पर्वतीय क्षेत्र के तथा पर्वतीय क्षेत्र का प्रपत्र मैदानी क्षेत्रों के फार्मों में भेजा जाता है।**
2. खसरा व जिन्सवार/मिलान खसरा प्रपत्रों के नमूने सहित इन्डेन्ट प्रत्येक आगामी फसली वर्ष के लिए **माह अक्टूबर–नवम्बर तक राजकीय प्रैस, रूड़की को हर हालत में उपलब्ध करा दिये जाएं।** इसका उत्तरदायित्व जिले के भूलेख अधिकारी का होगा।
3. प्रपत्र प्राप्त करने के लिए **नायब तहसीलदार/सहायक भूलेख अधिकारी को ही भेजा जाए** और वे प्रपत्रों को छान–बीन कर ही राजकीय प्रैस से प्राप्त करें।
4. भूलेख प्रपत्रों का जनपद व तहसील स्तर पर अभिलेख–रजिस्टर रखा जाए। इन प्रपत्रों को रजिस्टर में दर्ज कर, **तहसील/पटवारी/लेखपालों को वांछित संख्या में निर्धारित समय से उपलब्ध करा दिये जाए।**
5. पटवारी/लेखपालों को 30 अप्रैल तक खसरा फार्म उपलब्ध करा दिये जायें। ताकि वे आगामी फसली वर्ष के खसरा रजिस्टर में कॉलम न0 1 से 5 तक की प्रविष्टियाँ 10 अगस्त तक, खरीफ पड़ताल प्रारम्भ करने से पूर्व कर लें।
6. खसरा रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ पर नम्बर अंकित करें, खसरे के मध्य भाग जहाँ सिलाई की गयी है रजिस्ट्रार कानूनगो के हस्ताक्षर, मुहर सहित कागज की चिपक लगा दी जाए। खसरे के मुख पृष्ठ पर फसली वर्ष, ग्राम का नाम, पटवारी क्षत्र, तहसील व जनपद के साथ–साथ पटवारी/लेखपाल के हस्ताक्षर तिथि सहित अंकित करें।
7. खसरे के दूसरे पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या का प्रमाण पत्र इत्यादि की प्रविष्टियाँ कर ली जाए।
8. पड़ताल के समय खसरे में जिन्स की इन्द्राजी सही–सही कर खसरे के अन्त में **जिन्सों का मौसमवार गोश्वारा तैयार किया जाए।**
9. तहसील व जिला स्तर पर R-57 का विवरण **(खातों की संख्या, कुल खसरा नम्बर व प्रतिवेदित क्षेत्रफल (भौगोलिक क्षेत्रफल) की प्रविष्टियाँ) अध्यावधिक करवा दी जाए।**
10. **जिन्सवार व मिलान खसरा तहसील स्तर पर रजिस्ट्रार कानूनगो का व जिला स्तर पर सहायक भूलेख अधिकारी का मुख्य भू–अभिलेख विवरण पत्र है।** जिन्सवार व मिलान खसरा विवरणों को त्रुटि रहित व समयान्तर्गत उपलब्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व सहायक भूलेख अधिकारी का है।
11. जिला स्तर पर तैयारजिन्सवार व मिलान खसरा की **जाँच अपर सांख्यिकीय अधिकारी** से करवाने के उपरान्त निर्धारित समय से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए।
12. तहसील स्तर व जिला स्तर पर जिन्सवार/मिलान खसरा के टोटलिंग रजिस्टर अनिवार्य रूप से तैयार किये जाएं। भूलेख अधिकारी जिन्सवार/मिलान खसरा प्रेषण के समय **यह सुनिश्चित कर लें कि टोटलिंग रजिस्टर में अंकन कर लिया गया है।**
13. जनपदों से प्राप्त जिन्सवार/मिलान खसरा के आंकड़ों एवं प्रविष्टियों में काफी त्रुटियां मिलती हैं अतः **संलग्न दिशा–निर्देश के बिन्दुओं के अनुसार जिन्सवार/मिलान खसरा तैयार करवाने का कष्ट करें।**

**अतः अनुरोध है कि उपरोक्त भू–अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुधार व निर्धारित समय पर प्रेषण की समीक्षा, राजस्व विभाग की मासिक समीक्षा बैठकों में करने का कष्ट करें।**

संलग्नः– यथोपरि (1)

भवदीय,

29-12-10

(कुँवर राजकुमार)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
2– कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

29-12-10

(कुँवर राजकुमार)
अपर मुख्य राजस्व आयुक्त
उत्तराखण्ड, देहरादून।

## जिन्सवार एवं मिलान खसरा को बनाने एवं जांच करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. यह सुनिश्चित किया जाय कि तहसील के सभी पड़ताली ग्रामों के जिन्सवार/मिलान खसरा बने हैं व सभी की गोस्वारों में प्रविष्टि हो गयी है।
2. तहसील/जिला स्तर पर जिन्सवार व मिलान खसरा न्याय पंचायतवार, विकासखण्डवार एवं तहसीलवार तैयार करवाये जाएं एवं क्षेत्रवार रोस्टर के आधार पर **पड़ताली ग्राम/कुल ग्रामों की संख्या का अंकन किया जाए।**
3. मुख्य फसलें एवं **गौण फसलों की प्रविष्टियों** पर विशेष ध्यान दिया जाए जो सम्बन्धित क्षेत्र के अन्तर्गत बोई जा रही हैं।
4. जिन्सवारों में उन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अंकन न हो जो फसल, सम्बन्धित क्षेत्र में बोई नही जाती है।
5. जिन्सवारों में **अन्य जिन्सों** के अन्तर्गत क्षेत्रफल का अंकन हो तो अन्य जिन्स का नाम भी अंकित किया जाए साथ ही **परिशिष्ट संलग्न** किये जाए।
6. मैदानी क्षेत्र में विशेष पड़ताल के अन्तर्गत दिये गये फसल **तोरिया, आलू, उर्द, मटर के क्षेत्रफल के आंकड़ों का समावेश रबी जिन्सवार में कर लिया जाए।**
7. **पर्वतीय क्षेत्र में रबी जिन्सवार में फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल अंकन कर, रबी के खाद्य व अखाद्य के योग में जोड़ते हुये कुल रबी का योग दिया जाए, फल गणना परिशिष्ट भी रबी जिन्सवार के साथ भेजेगें।**
8. जिन्सवारों में साधनवार सिंचित क्षेत्रफल का योग खाद्य व अखाद्य के योग के सिंचित कॉलम के बराबर होना चाहिए।
9. पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र के जिन्सवार/मिलान खसरा क्रमशः पर्वतीय/मैदानी, फार्मों पर ही तैयार किये जाए।
10. जिन्स योगों की क्रास जांच करें। जिन्सवार/मिलान खसरा के कॉलम योगों की जांच अपर सांख्यिकीय अधिकारी से करवालें।
11. मिलान खसरा में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल किसी एक मौसम के अधिकतम क्षेत्रफल से कम व वर्ष के कुल कृषिमय क्षेत्रफल से अधिक नही होना चाहिए।
12. **मिलान खसरा में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल + दो फसली क्षेत्रफल का योग, वर्ष के जिन्सवारों के खाद्य व अखाद्य के योग के बराबर होना चाहिए।**

    **(अ) मैदानी क्षेत्र–** शुद्ध कृषित क्षेत्रफल + दो फसली क्षेत्रफल = खरीफ + रबी + जायद का कुल योग।

    **(ब) पर्वतीय क्षेत्र–** शुद्ध कृषित क्षेत्रफल + दो फसली क्षेत्रफल = खरीफ + रबी (फलों के क्षेत्रफल सहित) का योग।

    **(स)** यदि किसी फलों के बाग के अन्तर्गत वर्ष के एक मौसम में या एक से अधिक मौसमों में जिन्स भी बोई गई है तो, मिलान खसरा में शुद्ध कृषित क्षेत्रफल में बाग का क्षेत्रफल सम्मिलित किया जाए और वर्ष भर में इस बाग के अन्तर्गत बोई गयी जिन्सों के कुल क्षेत्रफल का योग दो फसली में सम्मिलित किया जायेगा।
13. **साधनवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल किसी एक मौसम के अधिकतम क्षेत्रफल से कम व वर्ष के कुल साधनवार सिंचित क्षेत्रफल से अधिक नही होना चाहिए।**

**(अ)** यदि किसी एक ही भू–भाग में दो मौसमों में अलग–अलग साधनों से सिंचाई की गयी हो तो साधनवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल अंकन की प्राथमिकता क्रमशः नहर, नलकूप, अन्यकूप, अन्य साधन को दी जायेगी, अतः ऐसे भू–भाग का शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल एक ही साधन में सम्मिलित किया जायेगा और दो फसली दूसरे साधन में ली जायेगी।

**(ब)** यदि किसी भू–भाग में एक मौसम में सिंचाई होती है और दूसरे मौसम की जिन्स असिंचित रहती है तो इस भू–भाग का शुद्ध कृषित क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत लिया जायेगा और उस क्षेत्रफल की दो फसली असिंचित के अन्तर्गत आयेगी।

14. **मिलान खसरा के कॉलम–2 प्रतिवेदित क्षेत्रफल (भौगोलिक क्षेत्रफल) की प्रविष्टियां, ग्राम स्तर से जनपद स्तर तक R-57 से मिलाकर की जाए। प्रतिवेदित (भौगोलिक) क्षेत्रफल अपरिवर्तनीय है, इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दें।**
15. **मिलान खसरा में प्रतिवेदित क्षेत्र = कुल कृषि अयोग्य क्षेत्रफल + कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल + कुल शुद्ध कृषित क्षेत्रफल, के होगा।**
16. मिलान खसरा में नलकूपों से सम्बन्धित विवरण अवश्य भरे जाएं।